फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जगदीश चन्द्र साहु पिता श्री रामलाल साहु नि0 14/996, ग्लास फैक्ट्री, मैन रोड़ गिर्वा तहसील व जिला उदयपुर **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक : सू0अ,05/2024/6 दिनांक 05.02.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में यह वर्णित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या A की सूचना तहसील कार्यालय राजसमन्द एवं बिन्दु संख्या B से H की सूचना नगर परिषद, राजसमन्द से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(I)(II) के तहत अंतरण कर आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना/प्रतिलिपियॉ समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करावे। तथा अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या A व E की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्र क्रमांक आर.टी.आई/25/115–116 दिनांक 20.02.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र (244495688270111) का इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन नं. 2444829902029556 दिनांक 02.07.2024 को प्राप्त हुआ तथा प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र (244495688270111) का इस कार्यालय में आवेदन नं. 2444829902029556 दिनांक 02.07.2024 के संबंध में प्रार्थी/अपीलान्ट को चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के ऑनलाईन नं. 8363881407 दिनांक 22.08.2024 में पत्रांक आरटीआई/24/439–440 दिनांक 22.08.2024 से सूचना दी गई है। उपरोक्त समान सूचना के संबंध में पूर्व में श्रीमान के न्यायालय प्रथम अपील प्रकरण संख्या 74/2024 से अपीलार्थी को चाही वांछित बिन्दु संख्या A व E की सूचना के संबंध में विशिष्टिया अंकित कर पुनः आवेदन करने के आदेश दिये गये। उसके बावजूद उपरोक्त आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा पुनः आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में विशिष्टियॉ अंकित नही की गई। जिससे चाही गई सूचना तक पहॅूच बनाई जाना संभव नही हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त अपील को खारिज फरमाया जाने की कृपा करावें।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित बिन्दु संख्या A व E की सूचना के लिए विशिष्टिया अंकित करने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया गया था। किन्तु अपीलार्थी द्वारा पुनः कोई विशिष्टिया अंकित नही कर आवेदन किया। जिससे वांछित सूचना तक पहूँच नही बनाई जा सकी। अपीलार्थी को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि वांछित सूचना के लिए विशिष्टिया अंकित कर पुनः आवेदन करें तथा बिन्दु संख्या B,C,D,F,G,H की सूचना नगर परिषद राजसमन्द से संबंधित होने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या B,C,D,F,G,H की सूचना हेतु नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)